प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 19.04.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 240/26 धारा 281/125B/ 106(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी बलैनो नं0 DL-12CS-6614 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी बिट्टू पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी ग्राम हमीदाबाद उर्फ नयागाँव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि गाडी बलैनो नं0 DL-12CS-6614 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा अपनी गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके परिजन सुनील पुत्र तिलकराम के ई-रिक्शा UP-17BT-4794 में टक्कर मार दी, जिससे रिक्शे में बैठे उसके चाचा रकमू पुत्र धडे सिंह की मौके पर मृत्यू हो गयी तथा 02 अन्य घायल हो गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 240/26 धारा 281/125B/106(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 240/26 धारा 281/125B/106(1) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी बलैनो नं0 DL-12CS-6614 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अयान पुत्र इन्तजार अली निवासी जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त गाड़ी बलैनो नं0 DL-12CS-6614

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

2- है0का0 422 राजन सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बड़ौत **दिनाँक 19.04.2026**

थाना बडौत पुलिस ने रुपयों के छीनने की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्तविवरण/कार्यवाही–

दिनांक 19/04/2026 को थाना बडौत पर सचिन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उससे 06 हजार रूपये छीन लिये गए हैं। उक्त सूचना पर थाना बड़ौत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शिकायतकर्ता व उसके एक साथी मोनू पुत्र रामअवतार निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा रूपयों की छीनने जैसी कोई घटना का नहीं होना बताया गया, बल्कि जानकारी की गयी तो पता चला कि दोनों व्यक्तियों के मध्य शराब के रूपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। दोनों अभियुक्तों के शराब के नशे में होने के कारण उनका एल्कोहोल परीक्षण सीएचसी बडौत में कराया गया। रूपये छीनने की फर्जी सूचना व एक दूसरे पर आमद फसाद होने के कारण दोनों अभियुक्तों को थाना बड़ौत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सचिन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मोनू पुत्र रामअवतार निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत।

2-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत।

3-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 19.04.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना-

बागपत पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पुत्र सुभाष निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली।
2-है0का0 383 सुरेश कुमार थाना छपरौली।
3-है0का0 520 सरफराज खान थाना छपरौली।
4-का0 687 दीपक चौधरी थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 19.04.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 120/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 07 मो0सा0, 01 स्कूटी व एक खुली मो0सा0 का चैस एवं इंजन व पुर्जे तथा घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 18.04.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 DL-5SAS-0894 को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 120/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 120/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 07 मो0सा0, 01 स्कूटी व एक खुली मो0सा0 का चैस एवं इंजन व पुर्जे तथा घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अनुज पुत्र श्री महावीर निवासी ग्राम घिटोरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-लौकी उर्फ लक्की पुत्र श्री साहब सिंह निवासी ग्राम घिटोरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की 06 मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट।
- चोरी की 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस नं0 DL-5SCK-6059
- चोरी की 01 स्कूटी टीवीएम एनटोर्क नं0 DL-5SCN-3934 (संबंधित मु0अ0सं0 013299 ई पोलिस स्टेशन एमबी थैप्ट दिल्ली)
- चोरी की खुली हुई 01 मो0सा0 का इंजन, चेसिस मय हैंडल मय फ्रेम नं0 DL-5SAS-0894 व अन्य पुर्जे । (संबंधित मु0अ0सं0 120/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत)
- मो0सा0 खोलने का सामान 01 प्लास, 06 चाबी पाना, 03 पेंचकस, 02 छैनी, 01 एल की, 01 एक्सल रोड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
4-है0का0 53 रविन्द कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
5-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
6-है0का0 189 निशान्त शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।
7-है0का0 440 राशिद खाँन थाना खेकडा जनपद बागपत।
8-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला   दिनाँक 19.04.2026

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना-

बागपत पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश पुत्र नीरज निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।
3-है0का0 60 पंकज थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक -19.04.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 257/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.07.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी फरमान पुत्र महबूब निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ शौकीन पुत्र धर्मपाल उर्फ मांगे निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके भाई सलमान का अपहरण कर हत्या करके शव को ईख के खेत में फेंक दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 257/25 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य व एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर अभियोग को धारा 140(1) बीएनएस से धारा 108 बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 257/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुरेन्द्र उर्फ शौकीन पुत्र धर्मपाल उर्फ मांगे निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-है0का0 24 तरुण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।